Coforge Limited

(erstwhile NIIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019.
Ph: 91 (11) 41029297 **Fax:** 91 (11) 26414900
Email: investors@coforgetech.com **Website:** https://www.coforgetech.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company is reported lost/misplaced by the shareholder/s. The shareholder/s has thereof applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate:

Folio No.	Name of the Registered holder	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
1214	RAVI SARDANA	6761	39196935 - 39196962	28

Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner.

For and on behalf of
Coforge Limited
(erstwhile NIIT Technologies Limited)
Sd/-
Barkha Sharma
Company Secretary

Dated : September 30, 2021
Place : New Delhi

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली के समक्ष

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

के मामले में **ओए 761/2020**

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड बनाम **अनिर्बान चौधरी एवं अन्य**
आवेदक **प्रतिवादी**

सेवा में, प्रतिवादी–1. श्री अनिर्बान चौधरी
सी–801, नवसंजीवन अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 01, सेक्टर–21, द्वारका, नई दिल्ली–110075
इसके अलावा: फ्लैट बी–403, इसपैटिका कंपनी. हॉज सोसाइटी अपार्टमेन्ट, प्लॉट 29, सेक्टर 4, द्वारका, दिल्ली–110075, **इसके अलावा:** फ्लैट एफ–603, इसपैटिका कंपनी. हॉज सोसाइटी अपार्टमेन्ट, प्लॉट 29, सेक्टर 4, द्वारका, दिल्ली–110075, **इसके अलावा** फ्लैट नंबर 401, टॉवर सी–1, एवलॉन रीगल कोर्ट, सेक्टर –57, अलवर बाईपास रोड, भिवाड़ी, राजस्थान–301019
2. मैसर्स जीआरजे डिस्ट्रीब्यूटर एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एवलॉन ग्रुप)
पंजीकृत कार्यालय: आइरिस टेक पार्क, टावर बी, प्रथम तल, सोहना रोड, सेक्टर–48, गुरुग्राम–122008.

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध **रू. 40,07,049/–(रूपये चालिस लाख सात हजार उनचास मात्र)** की वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 07.10.2021 को प्रातः 10:30 बजे एल.डी. रजिस्ट्रर** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in फोन नंबर: 011– 23748473)
यह ध्यान रखें कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।
चल रही महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए :– (ए) सभी अधिवक्ता/वादी **सिस्को वीबेक्स** एप्लीकेशन/सोफ्टवेअर डाउनलोड करेंगे। **(ब)** अगली तारीख की सुनवाई के लिए **'मीटिंग आईडी'** और **पासवर्ड** रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर– I/और रिकवरी ऑफिसर–II द्वारा लिया जाएगा जोकि अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के अधिकारिक पोर्टल यानी **drt.gov.in** पर शीर्षक सार्वजनिक सूचना के तहत उपलब्ध होगा। **(स)** किसी भी प्रकार की अन्य अनिवार्य सूचना के लिए, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से **फोन नं. 23748473** पर संपर्क कर सकते हैं।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **10 अगस्त, 2021** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक रजिस्ट्रार

प्रतिवादी आगे की पूछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते हैं।
श्री अमित के. दारी
एल.डी. रजिस्ट्रार
डीआरटी–I, नई दिल्ली
फोन नंबर: 011–23748473,
ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in

COSMO FILMS
Engineered to Enhance

COSMO FILMS LIMITED

Regd. Off: 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi- 110025
CIN: L92114DL1976PLC008355 Tel: 011-49494949 Fax: 011-49494950
E-mail: investor.relations@cosmofilms.com, Website: www.cosmofilms.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following original Share Certificates of Cosmo Films Ltd issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holder thereof/ claimant has applied to company for issue of Duplicate Share Certificate.

Sr. No.	Name & Folio No.	Name of Claimant	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Eq. Shares
1.	Mahendra Bhai Ambalal Mehta **M5136**	Mahendra Bhai Ambalal Mehta	107322-107323	7709496-7709550	55
2.	Chhaya Shah Badresh Shah **C421**	Chhaya Shah Badresh Shah	101996	7543571-7543620	50
3.	Giriraj Das Bangard **G467**	Giriraj Das Bangard	103844-103845	7613631-7613685	55

Any person(s) who has/ have any claim(s) in respect of such share certificates should lodge such claim(s) in writing with the registrar and share transfer agent M/s. Alankit Assignments Ltd., 4E/2, Alankit House, Jhandewalan Extn., New Delhi 110055. Tel: 011-42541234, within 15 days of Publication of this notice after which no claims will be entertained and the registrars will proceed for issuing duplicate certificates.

For and on Behalf of
COSMO FILMS LTD.
Sd/-
Jyoti Dixit
Company Secretary

Dated: 30th September, 2021
Place: New Delhi

SOUTH INDIAN Bank

शाखा वसंत कुंज – नई दिल्ली

फोन नं. : 011–26138999

गोल्ड नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे वर्णित ऋणियां को **साउथ इंडियन बैंक, वसंत कुंज शाखा** से सोन के आभूषणों की गिरवी पर दिए गए ऋण के लिए अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सूचनाएं जारी की गई थीं। चूंकि ऋणी समय पर अपने देयों का भुगतान करने में असफल रहे हैं, हम **08.10..2021** को गिरवी सोने के आभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं। साउथ इंडियन बैंक को पूर्व सूचना के बिना नीलामी से निम्नलिखित खातों में से किसी को हटाना का अधिकार है। इसके अतिरिक्त साउथ इंडियन बैंक का बिना किसी सूचना के नीलामी तिथि को बदलने का भी पूर्ण अधिकार है।

क्र.सं.	ऋण खाता सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	ज्वैलरी का कुल वजन (ग्राम में)
1	0397653000000285	श्रीमती अनुपम अरोड़ा	बी1–1375, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070	69.20 ग्राम.

नीलामी नीचे दिए गए पते पर **दोपहर 12.00–01.00 बजे के बीच साउथ इंडियन बैंक, पॉकेट 8/9, दुकान नं. 4 सेक्टर–बी, जी.डी. गोयनका स्कूल के सामने, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070** में साउथ इंडियन बैंक के परिसर में आयोजित की जाएगी। यदि ग्राहक मृतक है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उसके कानूनी वारिसों पर लागू होंगी। इच्छुक पार्टियां उक्त निर्धारित समय अनुसार नीलामी की तिथि पर फोटोग्राफ, वैध फोटो पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के साथ पैन कार्ड की प्रति सहित साउथ इंडियन बैंक के उक्त वर्णित पते पर आ सकती हैं। अन्य नियम व शर्तें नीलामी प्रक्रिया के समय पर सूचित की जाएंगी।

दिनांक : 29.09.2021 **प्रबंधक**
स्थान : वसंत कुंज, नई दिल्ली **वसंत कुंज नई दिल्ली**

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएआरसीएल) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **नरेश कुमार C/O हिल इंटरनेशनल और राकेश कुमार** को **09.04.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.**N001OXVI (आइएचएफएल का पहले लोन खाता नं. HHLDCP00278809)** की राशि **रू.11,77,355/- (रुपए ग्यारह लाख सतहत्तर हजार तीन सौ पचपन मात्र)** और **07.04.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड ने** दिनांक **30.09.2020** के असाइनमेंट करार द्वारा **इंडियाबुल्स एआरसी-XVI के ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को सोंपा गया है। इसके अलावा **इंडियाबुल्स एआरसी-XVI के ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने** दिनांक **26.04.2021** के असाइनमेंट करार द्वारा **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई)** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को सोंपा गया है और लोन खाता एसीआरई की बुक्स में लोन खाता नं. **N001OXVI** के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **27.09.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.11,77,355/- (रुपए ग्यारह लाख सतहत्तर हजार तीन सौ पचपन मात्र) 07.04.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.सी/युएच -238, जिसका सुपर एरिया 585 स्के.फीट दुसरी मंजिल पर, टॉवर -सी में, अर्बन होम्स -1, से पहचाने जाने वाले आवासीय कॉम्पलेक्स में, शहापुर बम्हेता में स्थित, परगना डासना, नेशनल हाइवे-24, तहसील और जिला गाज़ियाबाद – 201302, उत्तरप्रदेश

दिनांक : 27.09.2021 **सही/-**
स्थान : गाज़ियाबाद **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रायन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात 362266 **शाखा कार्यालय :** पुंज बिजनेस सेंटर, चौथा तल, 17–18, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019

परिशिष्ट IV {प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखे) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड, पुंज बिजनेस सेंटर, 4था तल, 17–18, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि **2 जुलाई, 2021** ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता अर्थात् **पेज़हनदनदलम मदापुरी सुकुमार, ओम प्रकाश अरोड़ा, कल्याणी सुकुमार, टर्टल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वैरायटी बुक्स डिपो** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रू. 8,44,32,899.35/ (रूपये आठ करोड चव्वालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ निन्यानवे एवं पैंतीस पैसे मात्र)** को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथ आम जनता को सूचित किया जाता है कि **27 सितम्बर, 2021** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों के किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया **रू. 8,44,32,899.35/– (रूपये आठ करोड चव्वालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ निन्यानवे एवं पैंतीस पैसे मात्र)** तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड, पुंज बिजनेस सेंटर, 4था तल, 17 18, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल संपत्ति:
पी.एम सुकुमार ओर कल्याणी सुकुमार के स्वामित्व वाली गिरवी रखी संपत्ति आवासीय संपत्ति अर्थात् पेंटहाउस नंबर के. फेज–3, टाईप–2, 16वां तल (डूपलेक्स), प्लाट नं. सी/जीएच–3, वैभव खंड, अदित्या मेगा सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पर स्थित है।
घिरा:

दिनांक : 27/09/2021 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड)

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (आइएचएफएल) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **श्री विनोद गम्बर और श्रीमती पूजा गम्बर** को **04.02.2016** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.**V014XII (आइएचएफएल का पहले लोन खाता नं. HHLRHN00180794)** की राशि **रू.21,45,188/- (रुपए इक्कीस लाख पैंतालीस हजार एक सौ अठ्ठासी मात्र)** और **01.02.2016** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। इसके अलावा **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड ने** दिनांक **31.12.2019** के असाइनमेंट करार द्वारा **इंडियाबुल्स एआरसी-XII के ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को सोंपा गया है। इसके अलावा **इंडियाबुल्स एआरसी-XII के ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने** दिनांक **26.04.2021** के असाइनमेंट करार द्वारा **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई)** के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शिर्षक और इन्ट्रेस्ट को सोंपा गया है और लोन खाता **एसीआरई** की बुक्स में लोन खाता नं. **V014XII** के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **27.09.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.47,42,511/- (रुपए सैंतालीस लाख बयालीस हजार पाँच सौ ग्यारह मात्र) 01.09.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.एफ -083, आठवीं मंजिल, टॉवर -एफ, मिडोस विस्ता, गाँव मोरता, एनएच-58, राजनगर एक्सटेंशन, गाज़ियाबाद – 201004, उत्तरप्रदेश

उक्त संपत्ति निम्नुंसार परिबद्ध है:
पूर्व: टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम: टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर: टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण: टाइटल डीड के अनुसार**

दिनांक : 27.09.2021 **सही/-**
स्थान : गाज़ियाबाद **एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड**
(102-ट्रस्ट)

समस्त विकास लिमिटेड

(पूर्ववर्ती नाम स्प्रिंग इन्फ्रादेव लिमिटेड)

सिन : U70109DL2006PLC149722

पंजीकृत कार्यालय : डीपीटी–103, प्राइम टॉवर्स, औखला फैस–1, नई दिल्ली–110020

प्रपत्र डीपीटी–1
जमा आमन्त्रित करने हेतु हुए परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र
(कम्पनी अधिनियम की धारा 73 (2)(a) और धारा 76 और कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 नियम 4 (1) तथा 4 (2) के अनुसरण में)

1. सामान्य सूचना:
   - क. कम्पनी का नाम : समस्त विकास लिमिटेड
   - ख. पता : डीपीटी 103, प्राइम टॉवर्स, ओखला फैस 1, नई दिल्ली 110020
   - ग. सिन नं. : U70109DL2006PLC149722
   - घ. फोन : 011–40516546,
   - ङ. कम्पनी निगमन की तिथि : 14 जून, 2006
   - च. **शाखाओं और इकाइयों, यदि कोई हो, के विवरणों सहित कंपनी तथा इसकी नियंत्रित कंपनियों द्वारा किया जा रहा व्यापार :** कम्पनी कन्स्ट्रक्शन, भूमि विकास तथा व्यापार से सम्बन्धित व्यवसाय में संलग्न है। कम्पनी का मुख्य कार्यालय आगरा में तथा ब्रांच आफिस तिरुवनन्तपुरम् और कोच्ची में है।
   - छ. **कम्पनी के प्रबन्धन की संक्षिप्त विवरण :** कम्पनी का प्रबन्धन, निदेशक मंडल द्वारा योग्य व अनुभवी मैनेजरों की सहायता से किया जा रहा है।
   - ज. **निदेशकों का नाम, पता, डिन (डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नम्बर) एवं व्यवसाय :**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पता	डीआईएन	व्यवसाय
1	श्री सचिन अग्रवाल	एन–163, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली–110048	00007047	व्यापार
2	श्रीमती शिखा अग्रवाल	एन–163, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट–2, नई दिल्ली–110048	01569346	व्यापार
3	श्री प्रमोद अग्रवाल	फ्लेट न. 425, सेक्टर 15, वसुन्धरा, गाजियाबाद 201012	08862101	प्रोफेश्नल
4	श्री अशोक जौली	डी 503, कावेरी अपार्टमेंट, कालकाजी, दिल्ली 110019	08751182	प्रोफेश्नल
5	श्रीमती अंशु गुप्ता	22/141, मोतीलाल नेहरु रोड, विजय नगर, आगरा 282001	06942076	प्रोफेश्नल

   - झ. **जोखिम कारकों की प्रबन्धन का बोध :** व्यवसाय जिसमें कम्पनी संलग्न है सरकारी योजनाओं, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक बाजार की स्थितियों से प्रभावित होता हैं।
   - ञ. **निम्न की अदायगी में चूक (डिफॉल्ट) की राशि, चूक की अवधि और वर्तमान स्थिति सहित चूक का विवरण :**
     1) सांविधिक बकाया राशि कोई : शून्य
     2) ऋणपत्र और उन पर देय ब्याज कोई बकाया : शून्य
     3) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण और उस पर ब्याज : शून्य
2. जमा योजना का विवरण:
   - क. निर्देशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की तिथि : 30 अगस्त, 2021
   - ख. इस प्रकार के जमाओं को आमंत्रित करने हेतु अधिकृत करते हुए आम बैठक में संकल्प को पारित करने का दिनांक : 30 सितम्बर, 2020
   - ग. जमा का प्रकार, अर्थात् क्या प्रतिभूति सहित है अथवा प्रतिभूति रहित है : प्रतिभूति रहित
   - घ. कम्पनी के 31 मार्च, 2021 के तुलन पत्र के अनुसार, धनराशि, जो अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जमा के द्वारा से कम्पनी जुटा सकती है :
     1. जनता से ₹ 906.99 मिलियन
     2. कम्पनी के सदस्यों से ₹ 362.79 मिलियन

     तुरन्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि (31.03.2021) को रखी जमाओं का कुल योग : ₹ 362.43 मिलियन
     परिपत्र या विज्ञापन स्वीकृत होने की तिथि (30.08.2021) पर रखी जमाओं का कुल योग : ₹ 362.91 मिलियन
     जुटाए जाने के लिए प्रस्तावित जमा की राशि : जनता से 906.99 मिलियन
     : सदस्यों (मेम्बरों) से ₹ 362.79 मिलियन
     अगले 12 महीनों के भीतर अदायगी किये जाने योग्य जमा की धनराशि (01.04.2021 से) : ₹ 172.67 मिलियन
   - ड. जमाओं को जुटाने की शर्तें :

     संचयी योजना "ए"

अवधि	: 12 माह	24 माह	36 माह
प्रभावी प्राप्ति	: 10.47 प्रतिशत	11.02 प्रतिशत	11.61 प्रतिशत

     (ब्याज दर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज प्रतिमाह जुड़ेगी)
     मासिक आय योजना "बी"
     अवधि : 12, 24, 36 माह
     ब्याज (ब्याज अदायगी प्रतिमाह) : 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से
     भुगतान/अदायगी की विधि : बैंकिंग तंत्र के माध्यम से
   - च. प्रस्तावित समय सारणी :
     योजना आरम्भ करने का तिथि : योजना वर्तमान में जारी है
     परिपत्र या विज्ञापन के मान्य रहने की समयावधि : यह परिपत्र 30 सितम्बर, 2022 या वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली कंपनी की वार्षिक आम बैठक की दिनांक जो भी पहले हो तक मान्य रहेगा।
   - छ. जमाओं को जुटाने के कारण या उद्देश्य : कम्पनी के व्यवसाय हेतु
   - ज. प्राप्त हुई क्रेडिट रेटिंग :
     क्रेडिट रेटिंग ऐजेन्सी का नाम : क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (CARE)
     प्राप्त हुई क्रेडिट रेटिंग व उसका अर्थ : सीएआरई बीबी–(एफडी) मतलब मध्यम श्रेणी की चूक [CARE BB–(FD) denotes moderate degree of default].
     रेटिंग प्राप्त होने की तिथी : 24 फरवरी, 2021
   - झ. इस तरह की जमाओं के लिए सृजन किए गए या किये जाने वाले प्रभारों के लघु विवरण, यदि कोई हो : लागू नहीं, क्योंकि कम्पनी केवल प्रतिभूति रहित जमाओं को ही स्वीकार करेगी।
   - ञ. निदेशकों, प्रवर्तकों या मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का इस तरह की जमाओं में कोई वित्तीय अथवा अन्य सारभूत हित और ऐसे हित का प्रभाव जहाँ तक कि यह अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न है : निदेशक, प्रवर्तक व मुख्य प्रबंधकीय कर्मी इन जमाओं में हित रखते हैं यद्यपि उनके हित कम्पनी के अन्य जमाकर्ताओं के हित समान हैं।
3. कोई भी बकाया जमाओं का विवरण (31.03.2021):
   - क. बकाया धनराशि (परिपक्व लेकिन दावा नहीं किया) : शून्य
   - ख. स्वीकृति तिथि : पिछले चार वर्षों के दौरान
   - ग. बकाया कुल धनराशि : ₹ 362.43 मिलियन
   - घ. ब्याज की दर :

     संचयी योजना "ए"

अवधि	: 12 माह	24 माह	36 माह
प्रभावी प्राप्ति (पुरानी योजना प्रभावी 14.01.2017 तक)	: 13.24 प्रतिशत	14.12 प्रतिशत	15.07 प्रतिशत
(ब्याज दर 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज प्रतिमाह जुड़ेगी)			
प्रभावी प्राप्ति (वर्तमान योजना प्रभावी 15.01.2017 से)	: 10.47 प्रतिशत	11.02 प्रतिशत	11.61 प्रतिशत
(ब्याज दर 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज प्रतिमाह जुड़ेगी)			

     मासिक आय योजना "बी"

अवधि	: 12 माह	24 माह	36 माह

     पुरानी ब्याज योजना (ब्याज अदायगी प्रतिमाह) : 12.50 प्रतिशत वार्षिक (पुरानी योजना प्रभावी 14.01.2017 तक)
     वर्तमान ब्याज योजना (ब्याज अदायगी प्रतिमाह) : 10.00 प्रतिशत वार्षिक (वर्तमान योजना प्रभावी 15.01.2017 से)
   - ड. जमाकर्त्ताओं की कुल संख्या : 629
   - च. जमा राशि व उस पर अर्जित ब्याज की राशि के भुगतान के सम्बन्धि में चूक, यदि कोई हो, का विवरण : कोई नहीं
   - छ. जमाओं पर उपार्जित ब्याज का, जमाकर्ताओं द्वारा कोई अधित्याग : लागू नहीं
4. कम्पनी की वित्तीय स्थिति:
   - क. कर के प्रावधान के पूर्व एवं पश्चात् कम्पनी का लाभ :

विवरण	2020–21	2019–20	2018–19
कर के प्रावधान करने के पूर्व (रु लाख में)	10.34	2.80	2.21
कर के प्रावधान करने के पश्चात् (रु लाख में)	7.63	0.75	14.43
ब्याज आवृत्त अनुपात	1.11	1.04	0.43

   - ख. पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित व वितरित नही किया गया है।
   - ग. परिपत्र या विज्ञापन जारी होने के दिनांक से तुरंत पूर्व के तीन वर्षों के अंकेक्षित तुलन पत्र के आधारानुसार कम्पनी की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति :

विवरण	31 मार्च, 2021 (रु. मिलियन में)	31 मार्च, 2020 (रु. मिलियन में)	31 मार्च, 2019 (रु. मिलियन में)
अंश पूंजी	3427.47	3427.47	3427.47
आरक्षित निधि और अधिशेष	200.48	192.85	192.28
गैर मौजूदा देनदारियाँ (दीर्घकालीन उधारियाँ)	3418.05	3424.95	3423.73
वर्तमान देनदारियाँ	433.80	144.22	86.07
गैर मौजूदा आस्तियाँ (नॉन करेन्ट असेट्स)	6924.80	6704.16	6718.41
मौजूद सम्पत्तियाँ (करेन्ट असेट्स)	559.73	490.06	415.37

   - घ. परिपत्र या विज्ञापन जारी होने के दिनांक से तुरंत पिछले तीन वर्षों के लिए अंकेक्षित नकद प्रवाह विवरण (ऑडिटिड कैश फ्लो स्टेटमेंट)

विवरण :	2020–21 (रु. मिलियन में)	2019–20 (रु. मिलियन में)	2018–19 (रु. मिलियन में)
संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	87.87	73.63	75.68
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह	(78.61)	(67.48)	(827.01)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	(6.90)	1.73	749.83
नकद या समकक्ष में निवल बढ़ोतरी	2.36	7.88	(1.51)

   - ङ. पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन और कंपनी के लाभ और आरक्षित निधि पर उनके प्रभाव :
     कम्पनी ने IND AS मानकों को अपनाया है और IND AS 101 के अनुसार इसे अपनाया गया है।
5. **निदेशकों द्वारा घोषणा :** कम्पनी का निदेशक मंडल एतद्द्वारा घोषणा करता है कि
   - क. कम्पनी ने अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात्, कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई जमाओं या उस पर अर्जित ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की गई है;
   - ख. उन्होंने पूरी तरह से कम्पनी के मामलों और सम्भावनाओं के सम्बन्ध में स्वयं को पूर्णतः सन्तुष्ट कर लिया है और उनकी राय यह है कि कंपनी की भविष्य की अनुमानित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अपने दायित्वों को, जब कभी–भी ये बकाया होते हैं, पूरा करने में सक्षम होगी और यह कि परिपत्र या विज्ञापन के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर कंपनी दिवालिया नहीं बनेगी;
   - ग. कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाये गये नियमों का पालन किया है;
   - घ. अधिनियम और नियमों के अनुपालन का यह तात्पर्य नहीं है कि जमाओं की अदायगी की केन्द्र सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है;
   - ङ. अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई जमाओं की अदायगी की जा चुकी है या जब भी ग्राहकों द्वारा दावे किए जाते हैं तो ब्याज के साथ अदायगी की जाएगी और जब तक उनकी अदायगी नहीं की जाती है तब तक वे प्रतिभूति रहित मानी जायेंगी और अन्य प्रतिभूति रहित देनदारियों के बराबर–बराबर श्रेणी में रहेंगी;
   - च. क्रेडिट रेटिंग में कोई प्रतिकूल परिवर्तन के मामले में, जमाकर्त्ताओं को बिना किसी जुर्माने के जमा वापस लेने का एक अवसर दिया जायेगा;
   - छ. जमाओं का केवल परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में बताये गए प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जायेगा;
   - ज. कम्पनी द्वारा स्वीकृत जमा प्रतिभूति रहित तथा कम्पनी की अन्य प्रतिभूति रहित देनदारियों के साथ बराबर–बराबर प्रतिभूति रहित श्रेणी में आयेंगी;
6. **अस्वीकरण :** यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाये कि परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र के रजिस्ट्रार के समक्ष जमा करने का तात्पर्य यह नहीं है कि इसे रजिस्ट्रार या केन्द्र सरकार के द्वारा अपनी मंजूरी दे दी गई है, रजिस्ट्रार या केन्द्र सरकार, जमा व जमाओं, जिस के अन्तर्गत जमा में स्वीकार व आमन्त्रित की जा रही है कि, वित्तीय योग्यता और परिपत्र या विज्ञापन के रूप में दिये गये कथनों कि सत्यता कि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही लेती है। जमाकर्ता जमा योजना में निवेश करने से पूर्व जमा योजनाओं से सम्बन्धित यथोचित अध्ययन कर लें

कृते समस्त विकास लिमिटेड

ह०	ह०	ह०
(शिखा अग्रवाल)	(सचिन अग्रवाल)	(अंशु गुप्ता)
पूर्णकालिक निदेशक	निदेशक	स्वतन्त्र निदेशक
डीआईएन: 01569346	डीआईएन: 00007047	डीआईएन: 06942076
पता: एम–163, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट–2, नई दिल्ली	पता: एम–163, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली	पता: 22/141, मोतीलाल नेहरु रोड, आगरा

स्थान : न्यू दिल्ली
दिनांक : 30.08.2021

---

kotak

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ई). मुंबई–400 051
शाखा कार्यालय: 1/11, पहली मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
कॉर्पोरेट पहचान नंबर : L65110MH1985PLC038137, wwww.kotak.com

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी बनाम बिक्री नोटिस

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के सहपठित नियम 9(1) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों), गारंटर(रों) और/या बंधकदाता(ओं) को नोटिस दिया जाता है, कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति(या) कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (''प्रत्याभूत ऋणदाता'') के पास बंधक/प्रभार के अधीन रखी गई हैं, जिनका कब्जा आरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया है, उनकी ई–नीलामी के माध्यम से **''जो है जहां है आधार पर'' और ''जो है जैसी है आधार पर'' और ''और वहा जो कुछ भी आधार पर'' दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को रुपये 21,69,45,301.63/– (केवल इक्कीस करोड़ उनहत्तर लाख पैंतालीस हजार तीन सौ एक रुपये और तिरेसठ पैसे) 31 मई 2018 तक देय** सहित आगे ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रत्याभूत ऋणदाता की हैसियत से उसे देय भुगतान प्राप्त होने तक चक्रवृद्धि ब्याज की संविदात्मक दरों पर, कर्जदार(रों), **एफ6 फाइनसर्वर प्राइवेट लिमिटेड और एफ6 कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदारों) और 1. श्री पंकज गोयल, 2. श्रीमती मीनू गोयल, 3. श्री संजय आनंद, 4. श्रीमती कविता आनंद, श्री प्रवीण शर्मा, श्रीमती आशा शर्मा, श्रीमती रुचिका गोयल, श्री दीपक गोयल (गारंटरों और/या बंधकदाताओं)** की वसूली के लिये बेच दी जाएगी। नीलामी पर रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/विवरणों, आरक्षित मूल्य, अग्रिम जमा राशि और नीलामी की अनुसूची का नीचे उल्लेख किया गया है :

क्र सं.	बंधकदाता/ओं के नाम	ई–नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (भारतीय रूपयों में) (भारतीय रुपये में)/ अग्रिम राशि जमा
1.	श्री संजय आनंद, और श्रीमती कविता आनंद	स्ट्रीट बी–11 पर प्लॉट नंबर 2 का सारा हिस्सा और उसमें सब कुछ शामिल है, जिसका मापक 388.64 वर्ग मीटर है, जो डीएलएफ कुतुब एंक्लेव कॉम्प्लेक्स के नाम से ज्ञात आवासीय कॉलोनी, ग्राम चक्करपुर, तहसील और जिला गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, उसमें निर्मित सभी इमारतें, संरचनाएं, स्थापनाएं, सामग्री, संयंत्र और मशीनरी, यदि कोई हो, जिनकी स्थापना भूमि पर की गई है या स्थायी रूप से किसी के साथ भूमि पर लगाया गया है का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग और सीमांकन निम्न प्रकार : उत्तर में : प्लॉट नंबर बी–11/1, दक्षिण में: प्लॉट नंबर बी–11/3, पूर्व में: प्लॉट नंबर बी–9/16, पश्चिम में: सड़क	**रु. 8,16,00,000/–** (रुपये आठ करोड़ सोलह लाख रुपये मात्र) **रु. 81,60,000/–** (रुपये इक्यासी लाख साठ हजार मात्र)
2.	श्री पंकज गोयल और श्रीमती मीनू गोयल	भूमि धारक, जहां कार्यालय जगह धारक निजी सं. 206, नाप्क 3063.9 वर्ग फुट और सेवा कॉर्पोरेट पार्क/कॉर्पोरेट स्वीट्स एम.जी. रोड पर दूसरे तल पर स्थित, सिरहॉल राजस्व संपदा में, तहसील और जिला गुड़गांव हरियाणा का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। जिसका सीमांकन प्रकार : उत्तर : कार्यालय स्थान सं. 205, दक्षिण : कार्यालय स्थान सं. 207, पूर्व : कॉरिडार, पश्चिम : खुला संग समानुपातिक अविभाजित हिस्सा निम्न भूमि के साझा क्षेत्र में, सहूलियतें और सभी भवन, संरचनाएँ, प्रतिष्ठानों, सामग्री, संयंत्र और मशीनरी के साथ यदि कोई हो, जिनकी स्थापना भूमि पर की गई है या स्थायी रूप से किसी के साथ भूमि पर लगाया गया है	**रु. 5,00,00,000/–** (रुपये पांच करोड़ मात्र) **रु. 50,00,000/–** (रुपये पचास लाख मात्र)
3.	श्रीमती मीनू गोयल	भूमि धारक, जहां कार्यालय जगह धारक निजी सं. एफएफ 407 चौथे तल पर जिसका सुपर क्षेत्र 2001.50 वर्ग फुट (कवर्ड क्षेत्र 1300.975 वर्ग फुट) और खुली बॉलकनी जिसका क्षेत्र लगभग 199.02 वर्ग फुट एम.जी. रोड की तरफ मुख संग चार अंदर आरक्षित कार पार्किंग जगह ऊपरी तलघर ''सेवा कॉर्पोरेट पॉर्क'' के एम.जी. रोड पर ग्राम सिरहॉल राजस्व संपदा में, तहसील और जिला गुड़गांव हरियाणा का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। जिसका सीमांकन प्रकार : उत्तर : कॉरिडोर, दक्षिण : कार्यालय जगह इकाई 408, पूर्व : कार्यालय जगह ईकाई 406, पश्चिम : खुला संग समानुपातिक अविभाजित हिस्सा निम्न भूमि के साझा क्षेत्र में, सहूलियतें और सभी भवन, संरचनाएँ, प्रतिष्ठानों, सामग्री, संयंत्र और मशीनरी के साथ यदि कोई हो, जिनकी स्थापना भूमि पर की गई है या स्थायी रूप से किसी के साथ भूमि पर लगाया गया है	**रु. 3,35,00,000/–** (रुपये तीन करोड़ पैंतीस लाख मात्र) **रु. 33,50,000/–** (रुपये तैंतीस लाख पचास हजार मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने विवेकाधिकार पर और संभावित खरीदारों के अनुरोध पर, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 12 अक्टूबर–2021 को प्रातः 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे के बीच कथित संपत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

महत्वपूर्ण नियम और शर्ते:

1. ई–नीलामी वेबसाइट **https://kotakbank.auctiontiger.net** के माध्यम से केवल ''ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी।
2. ई–नीलामी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इच्छुक बोलीदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा–06351896834, ईमेल: delhi@auctiontiger.net; ramprasad@auctiontiger.net, हेल्पलाइन नंबर 079-61200595/520/548 हेल्पलाइन ईमेल आईडी- support@auctiontiger@net
3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी के विवरणों और बिक्री के नियमों और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट: **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** पर भी देख सकते हैं।
4. नीलामी की बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net के माध्यम से देखने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं पर कथित नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
5. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल **https://kotakbank.auctiontiger.net** पर जाकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड तैयार करना आवश्यक है।
6. बोली लगाने के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्रों में भरे जाने चाहिए और उन्हें 3 नवंबर 2020 या उससे पहले सांय 4:00 बजे तक पोर्टल **https://kotakbank.auctiontiger.net** पर बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ केवल ऑनलाइन प्रस्तुत/अपलोड किया जाएगा और विधिवत हस्ताक्षरित भरे गये बोली के प्रपत्र के साथ बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां **Viswanatham.akondi@kotak.com** और vikram.sharma@kotak.com की ईमेल पर भेजी जानी चाहिए। बोलीदाता **''एफ6 फाइनसर्वर प्राइवेट लिमिटेड और एफ6 कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड''** के खाते में संपत्ति की खरीद के लिए ईमेल का विषय लिखेगा।
7. भावी बोलीदाता लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए, मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) से उपरोक्त संपर्क नंबरों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
8. अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) आरटीजीएस एनईएफटी वित्त हस्तांतरण के माध्यम से खाता क्रमांक 06410125272007, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड: KKBK0000958 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को सांय: 04:00 बजे तक या उससे पहले जमा की जाएगी। ईएमडी राशि जमा किए बिना प्रस्तुत की गई कोई भी बोली स्वत: निरस्त हो जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
9. प्रस्तुत की जाने वाली बोली का मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगा और बोली की प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाता आगे की बोलियां 1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) के गुणकों में बढ़ाएंगे।
10. यदि ई–नीलामी की कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर कोई बोली लगाई जाती है, तब समापन का समय अपने आप बढ़ जाएगा और तुरंत उस समय को अन्य 5 मिनटों तक बढ़ा दिया जाएगा।
11. सफल बोली लगाने वाले का ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही के समापन पर या ई–नीलामी के दिन की समाप्ति के बाद अगले कार्यदिवस उच्चतम बोली राशि (पहले से ईएमडी का भुगतान शामिल है) का 25 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा, जैसा उपरोक्त रूप में निर्दिष्ट किया गया है। उच्चतम बोली की शेष राशि का 75 प्रतिशत उस तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा, जिस पर बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि कथित सफल बोलीदाता को की गई है या ऐसी विस्तारित अवधि पर, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर होगी और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के तहत हो। कृपया ध्यान दें कि बिक्री विचार के भुगतान के लिए समय रेखा नहीं बढ़ाई जाएगी ओर सफल नीलामी खरीदार को वह किसी भई कारण से निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, इस सूरत में फोर्स मजूर का दावा करे का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. उच्चतम बोली लगाने वाले के पास संपत्ति पर कोई अधिकार और स्वामित्व नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा पूरी नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों का भुगतान करने के बाद बिक्री प्रमाणपत्र उसके पक्ष में जारी नहीं किया जाता है। बिक्री ई नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन की जाएगी और उस प्रभाव के लिए आरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।
13. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी की राशि जमा करने में विफल रहता है, तब सफल बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता द्वारा न तो संपत्ति पर और न ही उसके द्वारा जमा की गई राशि पर दावा किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी नीलामी की जाने वाली संपत्ति यों के संबंध में उसके पास उपलब्ध सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी एक या उससे अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. ऊपर निर्दिष्ट अवधि तक पूरा बिक्री प्रतिफल प्राप्त करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड कोई भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
15. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम सेजारी किया जाएगा जिस नाम से बोली प्रस्तुत की गई है। बिक्री प्रमाण पत्र में किसी भी व्यक्ति(यों) के नाम शामिल किए जाने के लिए ऐसा कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा सिवाय बोली में उल्लिखित के नाम को छोड़कर।
16. असफल बोलीदाता को ईएमडी राशि, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा, उनके खातों में, आरटीजीएस/एनईएफटी/वित्त हस्तांतरण के माध्यम से, 10(दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
17. प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी बोली या अधिसूचित नीलामी बिक्री को स्वीकार करने या रद्द करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ई नीलामी बिक्री को स्थगित करने/रद्द करने की स्थिति में, बोली प्रस्तुत करने के बाद, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोली रद्द कर दी जाती है, तब प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोलीदाता या अन्य पक्षों से बातचीत कर निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री कर सकता है।
18. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के तहत 1 से अधिक संपत्ति के लिए बोली लगाने का इरादा रखता है, तब बोलीदाताओं को ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग–अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी।
19. अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विवरण का उल्लेख प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी में किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता इस उदघोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
20. माननीय डीआरटी 2 चंडीगढ़ के समक्ष लंबित प्रतिभूतिकरण आवेदन (एस.ए.) क्रमांक 2018 का 223 और (एस.ए.) क्रमांक 2018 का 224 छोड़कर बैंक को किसी अन्य ऋणभार की कोई भी जानकारी ज्ञात नहीं है। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह स्थानीय प्राधिकरण यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली और पानी शुल्क ओर किसी भी अन्य देय राशि या करों के हस्तांतरण के शुल्क सहित अपने आप स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, या सरकार या किसी अन्य को देय संपत्ति के संबंध में किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह सांविधिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति के बारे में अपने आप स्वतंत्र पूछताछ करें।
21. सभी सांविधिक देयताओं/पंजीकरण शुल्कों, स्टॉप शुल्कों, करो आदि का खर्च खरीदार को वहन करना होगा।
22. वर्तमान नोटिस के तहत संपत्ति की नीलामी बनाम बिक्री के संबंध में किये गय सभी खर्चे, शुल्क अर्थात् नगरपालिका कर, रखररखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य दय राशि या करों सहित हरतांतरण शुल्क पूर्ण रूप से सफल बोलीदाता/खरीदार द्वारा वहन किये जाएंगे।
23. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (जिसमें वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रतिभूति शुल्क या रखरखाव शुल्क शामिल हैं लेकिन उस तक सीमित नहीं हैं) केवल बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोलीदाता द्वारा वहन किये जाएंगे, बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले जिसे मुक्त/प्रतिपूर्ति किया जाना आवश्यक है। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के एकमात्र विवेक पर किसी भी न्यायसंगत और उचित देरी के लिए छूट पर विचार किया जा सकता है, भविष्य के लिये बिना कोई अधिकारिक निर्णय किये।
24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000.00 (रुपए पचास लाख मात्र) और उससे अधिक हो जाता है तब टीडीएस बिक्री प्रतिफल पर लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में लागू टीडीएस काटेगा और आयकर विभाग के पास जमा करेगा। और टीडीएस और फॉर्म 26 क्यूबी/टीडीएस प्रमाण पत्र के साक्ष्य कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पास चालान जमा करेगा।
25. बिक्री सख्ती के साथ ''जो है जहां है आधार पर'' और ''जो है जैसी है आधार पर'' और ''और वहा जो कुछ भी आधार पर'' यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों पर है, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने या बदलाव करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित संपत्ति के लिए बोली प्रस्तुत करने से पहले उप–पंजीकृत कार्यालय और राजस्व रिकॉर्डर और नगरपालिका रिकॉर्ड्स और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकार के रिकॉर्ड और संपत्ति, स्थिति, प्रकृति और विवरण के बारे में किसी भी ऋणभार, ग्रहणाधिकार, शुल्क वैधानिक देय राशि आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें, और खुद को संतुष्ट करें। कृप्या ध्यान दें कि बैंक/प्राधिकृत अधिकारी/आरक्षित लेनदार किसी भी तरह से नीलामी के तहत संपत्ति/यों /अस्तियों की फिटनेस स्वामित्व के संबंध में किसी भी तरह की गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिक्री/नीलामी सख्ती से बिना किसी संरक्षण आधार पर होगी।
26. यदि बैंक की देय राशि, उन पर या उनके द्वारा किए गए सभी खर्चो, शुल्कों और उसका कोई भाग जैसा बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, जो कर्जदार/रों, गारंटर/रों और या बंधकदाता ओं की ओर से प्रस्तुत की जाती है, किसी भी समय बिक्री के लिए तय की गई तारीख से पहले, संपत्ति की नीलामी/बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसे वे स्वीकार्य नहीं लगती हैं या स्थगित/रद्द करना या भंग रोकी जा सकती है या नीलामी की शर्तों को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बदल सकता है और उस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा :
27. बोलीदाता ने बिक्री के नियमों और शर्तो को पढ़ और समझ लिया है और उसे कथित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
28. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी; पावर बैक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए: ई नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाली इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या अन्य कारणों आकस्मिकताओं के कारण बैंक किसी भी व्यवधान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
29. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/यों के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
30. वर्तमान नोटिस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.kotak.com पर भी अपलोड की गई है और इच्छुक पार्टियां इसे भी देख सकती हैं।
31. अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री विश्वनाथम अकोंदी (मोबाइल नंबर +91 9667221548) या बैंक के अधिकारी श्री अजय भार्गव (मोबाइल नंबर +91–9899246151) और श्री विपुल दुबे (मोबाइल नंबर +91–8377905113) से संपर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिवस का बिक्री नोटिस

कर्जदार/रों, गारंटर/रों और या बंधकदाता/ओं को एतद्द्वारा अपने देयताओं का पूर्ण रूप से निर्वहन करने और इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उपरोक्त ब्याज और खर्चों के साथ देय राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है जिसमें विफल रहने पर ''आरक्षित परिसंपत्ति'' (ऊपर उल्लिखित) ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेच दी जाएगी। यदि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में बिक्री नोटिस के प्रकाशनों के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तब ऐसे मामले में अंग्रेजी अखबार स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों मान्य होगा और उसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, ताकि अस्पष्टता को दूर किया जा सके।

स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 28.09.2021 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के लिए